राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शुभ एग्रो फार्मस बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2026	1089/2023 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि भूमि साबिक खसरा नंबर 906 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 920 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 1004/1576 रकबा 21 बीघा, खसरा नंबर 1003 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 1005 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 98 बीघा 6 बिस्वा ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जो पूर्व में जे.के. केमिकल्स लि. व जे.के. बिल्डिंग के खातेदारी व कब्जा काश्त की थी। भूमि साबिक खसरा नंबर 906, 920, 1004/1576, 1003, 1005 कुल किता 5 कुल रकबा 98 बीघा 5 बिस्वा ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित भूमि जिसके पूर्व खातेदार जे.के. केमिकल्स लि. व जे.के. बिल्डिंग थे, ने अपने कब्जा काश्त व खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी को दिनांक 24.04.1985 व दिनांक 02:03.1987 को बेचान कर दिया एवं विक्रय की गई भूमि पर वादी को मौके पर कब्जा वास्तविक रूप से करा दिया। विक्रय पत्र के आधार पर वादपत्र में वर्णित भूमि का नामान्तकरण विधिवत रूप से तस्दीक किया जाकर खातेदारी वादी के नाम अंकित कर दी गई, तभी से वादी अपनी क्रयशुदा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वर्तमान भू-प्रबंध सर्वेक्षण जो दिनांक 01.07.1989 से दिनांक 30.06.2009 तक की अवधि हेतु तहसील सांगानेर में सम्पन्न हुआ है, में वाद पत्र में वर्णित भूमि साबिक खसरा नंबर 906, 920, 1004/1576, 1003, 1005/1577 के नये खसरा नंबर 1559 रकबा 1.74 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1559/2460 रकबा 1.58 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1562 रकबा 6.95 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1563 रकबा 8.75 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1564 रकबा 6. 01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1565 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1566 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1570 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1570/2380 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1571 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1567 रकबा 0.09 हैक्टर, खसरा नंबर 1568 राजस्व अपील प्राधिकारी	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शुभ एग्रो फार्मस बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1089/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1571/2381 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1593 रकबा 3.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1593/2382 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1594 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1595 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा, नंबर 1596 रकबा 1.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1596/2383 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1650 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 24.58 हैक्टेयर कायम किये जाकर वादी के नाम बतौर खातेदारी अंकित करते हुए पर्चा जारी किया गया। दौराने भू-प्रबंध सर्वेक्षण दिनांक 01.07.89 से दिनांक 30.06.2009 तक में वादी के पूर्व खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नंबर 906, 920, 1004/1576, 1003, 1005/1577 कुल रकबा 98 बीघा 5 बिस्वा बनाये गये हाल खसरा नंबरान में कुल रकबा 24.58 हैक्टेयर भूमि ही दी गई, जो पूर्व रकबा से 1.65725 हैक्टेयर कम है, जो बिना किसी आधार के वादी को किसी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस अथवा सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान किये चुपचाप भूमि खसरा नंबर 1559/2460 रकबा 1.58 हैक्टेयर को सिवाय चक भूमि के रूप में अंकित करने के आदेश पत्रावली संख्या 6512 दिनांक 02.02.1986 को पारित किये। भू--प्रबंध विभाग द्वारा की गई उक्त अवैध, गैरकानूनी व अधिकार क्षेत्र बाहर की गई उक्त कार्यवाही का वादी को कोई भी ज्ञान एवं जानकारी नहीं थी। जब वादी को उक्त अवैध व क्षेत्राधिकार बाहर की गई कार्यवाही का ज्ञान हुआ तो वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर वादी को पूर्व खातेदारी की भूमि के बराबर भूमि देने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान सहायक भू-प्रबंध विभाग द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई एवं न ही पूर्व के अनुसार भूमि दी गई तथा न ही राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की दुरूस्ती की गई। वादी ने श्रीमान् जिला कलेक्टर जयपुर तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने अभिभाषक द्वारा दिनांक 16.12.2006 को नोटिस अनतर्गत धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता तथा धारा 79 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के नोटिस प्रेषित कराये जिनका कोई भी जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आज तक नहीं दिया गया एवं न ही वादी की पूर्व खातेदारी के अनुसार भूमि दी जाकर पूर्व के अनुसार रकबा की पूर्ति की गई। इस कारण वादी को यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से करावें। दिनांक 02.04.2007 को प्रतिवादीगण के कुछ कर्मचारी विवादित भूमि पर आये तथा वादी से कहने लगे कि यह भूमि हमारे नाम से है, इसलिए तुम इससे चुपचाप

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपना कब्जा हटा लो, तो वादी के कर्मचारियो ने कहा कि हम तो हमारी भूमि पर ही कब्जा में है, इसलिए तुम इससे चुपचाप अपना कब्जा हटा लो. तो वादी के कर्मचारियो ने कहा कि हम तो हमारी भूमि पर ही कबज में है और उसी के अनुसार काश्त कर हे है, यह भूमि हमारी है, जिस पर प्रतिवादीगण के. कर्मचारी वादी से नाराज होकर कहने लगे कि या तो तुम चुपचाप कब्जा हटा लेना नही तो अबकी बार हम तुम्हें जबरन बेदखल कर देंगे। इस कारण वादी को यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा उक्त कृत्य नहीं करने हेतु प्रतिबंधित करायें। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि हाल खसरा नंबर 1559/2460 रकबा 1.58 हैक्टेयर ग्राम श्योपुर तहसील सांगानेर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर खातेदार वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि के कब्जा काश्त एंव शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न नहीं करें, न ही वादी को जबरन बेदखल करने का प्रयास करे तथा न ही ऐसा कोई भी कृत्य अपने सहायक व् अधीनस्थ किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से कराए |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 2 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा पेश किया गया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18/07/2023 पारित करते हुये वादी का अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्ण रूप से असफल होना धारित करते हुये वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अपील मीमो में अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा किया गया विवेचन उचित प्रतीत होता है, जिसमे

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	शुभ एग्रो फार्मस बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

1089/2023

कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18/07/2023 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर